न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 3/2018

1 शिशपाल सिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र उमा।
2 पन्नी देवी उम्र 80 वर्ष पत्नी श्री उमा समस्त जाति जाट निवासीगण सवाई लक्ष्मणपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 मंगलाराम उम्र 65 वर्ष पुत्र ज्ञानाराम।
2 भगवानी देवी उम्र 62 वर्ष पत्नी दल्लाराम।
3 गोदावरी देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी ईशरराम।
4 राकेश उम्र 35 वर्ष पुत्र ईशरराम।
5 चुन्नीलाल उम्र 33 वर्ष पुत्र ईशरराम।
6 शिवपाल उम्र 30 वर्ष पुत्र ईशरराम।
7 दुदा उम्र 65 वर्ष पुत्र बेगाराम।
8 मु. जीवणी उम्र 65 वर्ष पत्नी खींवाराम।
9 ताराचन्द उम्र 42 वर्ष पुत्र खींवाराम।
10 रामकोरी उम्र 70 वर्ष पत्नी अमराराम।
11 जगदीश उम्र 50 वर्ष पुत्र अमराराम।
12 गिरधारी उम्र 45 वर्ष पुत्र अमराराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सवाई लक्ष्मणपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
13 भंवरी देवी उम्र 52 वर्ष पुत्री अमराराम जाति जाट निवासी ग्राम सवाई लक्ष्मणपुरा पत्नी सांवरमल निवासी ग्राम पोटी तहसील व जिला चूरू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 परमेश्वरी देवी उम्र 48 वर्ष पुत्री अमराराम जाति जाट निवासी ग्राम सवाई लक्ष्मणपुरा पत्नी श्रवण हुडडा निवासी ग्राम गांगियासर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
15 सावित्री देवी उम्र 40 वर्ष पुत्री अमराराम जाति जाट निवासी सवाई लक्ष्मणपुरा पत्नी तेजपाल भामू निवासी ग्राम नेछवा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
16 छगनलाल उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री उमा।
17 अर्जुनराम उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री उमा।
18 बृजलाल उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री उमा।
19 भागुराम उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री गीदा।
20 नानुराम उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री गीदा।
21 राजा देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी श्री गीदा।
22 करणीराम उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री रूपाराम।
23 घड़सीराम उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री रूपाराम।
24 झीमा उम्र 65 वर्ष पत्नी श्री रूपाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सवाई लक्ष्मणपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

पुर्नविलोचन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 229
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश
47 सीपीसी विरूद्व निर्णय दिनांक 02.01.2018
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, सीकर
अपील संख्या 01/2018 बउनवानी शिशपाल आदि
बनाम मंगलाराम आदि अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रजनीश खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—31.01.2020

यह पुनरावलोकन न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 13/2018 में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मंगलाराम की और से धारा 212 का आवेदन संख्या 1/2018 प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 02.01.2018 को विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय स्थगन जारी किया। इस आदेश की विरूद्व अपीलांट शिशपाल सिंह, पन्नी देवी की और से अन्तरिम स्थगन के विरूद्व अपील संख्या 13/2018 शिशपाल बनाम मंगलाराम इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2018 को अपीलांट को सुनकर विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये बिना प्रकरण अपीलांट को सुनकर 30 दिन में निस्तारण के आदेश के साथ रिमाण्ड किया। इसके विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 41 की पालना में नोटिस जारी किये बिना, रिकार्ड तलब किये बिना विचाराधीन आदेश पारित कर दिया है। गुणावगुण पर कोई निर्णय नही किया गया है। ऐसा आदेश रिव्यु किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(2) पेज 898 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर रिव्यु स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 के आवेदन में एक पक्षीय रूप से स्थगन जारी किया गया था यह आदेश अन्तरिम था, गुणावगुण पर नही था। अपीलांट द्वारा इसकी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जो 30 दिवस में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को दिनांक 01.02.2018 को रिमाण्ड की गई। अपीलांट द्वारा प्रकरण को लम्बित रखने के उदेश्य से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यहां अपील के स्तर पर गुणावगुण पर निर्णय नही होना है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय पारित नही किया गया है। यहां अपील के स्तर पर सभी पक्षकारों को तामील हो चुकी है। अत रिव्यु आवेदन खारिज कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 के आवेदन में एक पक्षीय रूप से स्थगन जारी किया गया था यह आदेश अन्तरिम था, गुणावगुण पर नही था। अपीलांट द्वारा इसकी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जो 30 दिवस में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को दिनांक 01.02.2018 को रिमाण्ड की गई। अपीलांट द्वारा प्रकरण को लम्बित रखने के उदेश्य से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यहां अपील के स्तर पर गुणावगुण पर निर्णय नही होना है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय पारित नही किया गया है। यहां अपील के स्तर पर सभी पक्षकारों को तामील हो चुकी है।

पुनरावलोकन का स्कोप सीमित है इस न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नही की गई है कि उसे रिव्यु किया

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाना उचित हो। ऐसी स्थिति में पुनरावलोकन आवेदन खारिज किया जाता है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों की तामील हो चुकी है। सभी पक्षकारों को विचारण न्यायालय में उपस्थित होने के लिये तिथि नियत कर अवगत कराया जा रहा है। अत पक्षकारों की पुन तामीली प्रकिया की आवश्यकता नही है। प्रकरण में उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर एक माह में अन्तिम निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्धारित तिथि से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित हों। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर